न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 64/2016

जंगीरसिंह पुत्र माघसिंह जाति रायसिख निवासी 85 एलएनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र माघसिंह जाति रायसिख निवासी 85 एलएनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर ।

——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राभूअ 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 28.01.2016

उपस्थितिः—

श्री हेतराम विश्नोई , अभिभाषक अपीलांटा
श्री सुशील कुमार गोदारा अभिषक रेस्पो.
श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 21.11.2017

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 28.01.2016 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का टीसी से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधी.न्यायालय में विवादित भूमि के पुख्ता आवंटन का प्रा.पत्र पेश किया जिसका निर्णय गुणावगुण के आधार पर किये बिना खारिज कर दिया । अपीलांट आवंटन का पात्रता रखता है या नहीं इसका निर्णय तो साक्ष्य आने के पश्चात ही होगा । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें ।

21/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट आवंटन का पात्रता नहीं रखता था इसलिए उसका प्रार्थना खारिज करने में अधी.न्यायालय ने कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अधी.न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी एवं रेस्पो. आपस में भाई है। रेस्पो. द्वारा आवंटन का प्रार्थना पत्र पेश करने पर अपीलांट ने इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश कि दोनों भाईयों को भूमि का आवंटन किया जावें । अधी.न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जबकि अधी.न्यायालय को चाहिए था कि प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय करना चाहिए था । ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि आवंटन कार्यवाही में अपीलांट का प्रार्थना पत्र शामिल करे एवं अपीलांट अगर पात्रता की परिधि में आता है तो गुणावगुण के आधार पर निर्णय करें ।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर